

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 16/2021 प्रार्थना पत्र

उनवान

| | | |
|--|----------|---|
| श्री रसीद खान पिता फकरुद्दीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 07 इन्दौर मार्ग, सावेर जिला इन्दौर (म0प्र0) | बनाम | थानाधिकारी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा |
| --- | प्रार्थी | --- |
| | | विपक्षी |



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :- श्री बुद्धिप्रकाश डिडवानिया(अधिवक्ता) - प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक : 03.09.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री रसीद खान पिता फकरुद्दीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 07 इन्दौर मार्ग, सावेर जिला इन्दौर (म0प्र0) का वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर डी0एल0 01 एम 5957 है, को पुलिस थाना शाहपुरा तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा ने वजह सबूत में अपनी अभिरक्षा में लिया है। प्रार्थी उक्त वाहन का स्वामी हैं। पुलिस को तफतीश में उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय द्वारा जब भी उक्त वाहन को तलब किया जायेगा प्रार्थी अपने स्वयं के खर्च से उपस्थित कर देगा। प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु संतुष्टि प्रतिभूति व स्वयं का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर डी0एल0 01 एम 5957 को प्रार्थी को सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.08.2021 को पंजीकृत करते हुये विपक्षी से प्रकरण में की गयी कार्यवाही रिपोर्ट एवं पत्रावली तलब की गयी। थानाधिकारी शाहपुरा ने पत्रांक/2876 दिनांक 24.08.2021 से पत्रावली प्रस्तुत की है।

थानाधिकारी शाहपुरा ने उनके प्रकरण/प्र.सूरि. (FIR) संख्या 67/2021 अंतर्गत धारा 5, 6, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात विनियमन) नियम, 1995 की पत्रावली प्रेषित कर अंकित किया कि जरिये मुखबीर गोवंश वाहन में भरे होने की सूचना मिलने पर ग्राम नासरदा सरहद में एक वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर डी0एल0 01 एम 5957 में 22 नग बछड़े गाय के मिले जिसमें से 1 मृत था। मृत बछड़े का पोस्टमार्टम करा शेष सभी 21 नग गोवंश (बछड़े) ए वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर डी0एल0 01 एम 5957 को जरिये फर्द पृथक पृथक जप्त किया गया तथा सभी 21 नग गोवंश (बछड़े) गोशाला गोवर्धन नाथ नन्दी शाला शाहपुरा के संचालक श्री भूपेन्द्र त्रिपाठी को सिपुर्द कर रसीद प्राप्त की गयी एवं वाहन को थाना आहते में खड़ा कराया गया।

वाहन स्वामी श्री रसीद खान पिता फकरुद्दीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 07 इन्दौर मार्ग, सावेर जिला इन्दौर (म0प्र0) द्वारा जब्तशुदा वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर डी0एल0 01 एम 5957 श्री राहुल बामनिया पिता शंकरलाल बामनिया निवासी शुभम सी 4 रिंग रोड, नानाखेडा शिवम परिसर, उज्जैन (म0प्र0) के कब्जे में होने बाबत् मुख्तयार नामा आम (पॉवर ऑफ अटोर्नी) दिनांक 01.02.2021 को दिया गया है। पुलिस थाना शाहपुरा द्वारा फर्द जब्ती वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर डी0एल0 01 एम 5957 दिनांक 01.03.2021 की मुर्तिब हैं।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर डी0एल0 01 एम 5957 को प्रार्थी को जमानत पर सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का परीक्षण किया गया जिस अनुसार पाया गया कि थानाधिकारी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा ने वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर डी0एल0 01 एम 5957 को अपनी तहवील में लिया है। न्यायालय श्रीमान् अपर सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा जिला भीलवाडा के निर्णयानुसार मुल्जिम बर जमानत आजाद है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को इस हेतु पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी उक्त वाहन का किसी भी तरह से बेचान या हस्तांतरण, गिरवी, खुर्द बुर्द, व रंगरोगन/आकार-प्रकार में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं करेगा एवं अनुसंधान/सक्षम न्यायालय में विचारण में जब भी आवश्यकता हो, वाहन को स्वयं के खर्चे पर प्रस्तुत करेगा। प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर डी0एल0 01 एम 5957 के रिलीज किये जाने बाबत् कुल रूपये 10,00,000/- (दस लाख रूपये) के जमानत मुचलका मय सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया गया जिन्हें तस्दीक किया गया।

विपक्षी थानाधिकारी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के जमानत मुचलका पेश कर दिये जाने से उक्त वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर डी0एल0 01 एम 5957 को रिलीज किया जावे। जिला परिवहन अधिकारी, उज्जैन (म0प्र0) को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में रिलीज किये जाने वाले वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर डी0एल0 01 एम 5957 को श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा/अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई अन्य केस विचाराधीन होने पर, उसके निस्तारण तक किसी अन्य को बेचान, रहन, खुर्दबुर्द व हस्तान्तरण न करें व न ही किसी अन्य से करावें।

उप पंजीयक तहसील, बनेडा जिला भीलवाडा (राज0) एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भीलवाडा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जमानत मुचलके के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी खतौनी में अंकित ग्राम चमनपुरा पटवार हल्का चमनपुरा तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 189, 190, 192, 193, 194, 195/1 कुल किता 06 कुल रकबा 1.3911 है0 जमानतदार श्री अरविन्द कुमार जीनगर पुत्र श्री कस्तुरचन्द जीनगर निवासी सदर बाजार बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा की कृषि भूमि को श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा/अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई अन्य केस विचाराधीन होने पर उसके निस्तारण तक किसी अन्य को बेचान, रहन, खुर्दबुर्द व हस्तान्तरण न करें व न ही किसी अन्य से करावें।

वाहन रिलीज के निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकॉर्ड थानाधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावें। निर्णय की प्रति जिला परिवहन अधिकारी, उज्जैन (म0प्र0), उप पंजीयक, बनेडा जिला भीलवाडा एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा